□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3441
13 □□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

काउंटर पर उपलब्ध दवाएं

3441. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार का विचार काउंटर पर उपलब्ध दवाओं का एक पृथक अनुसूची के तहत सूची बनाने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम म संशोधन किए जाने को संभावना है और औषधि परामश समिति को राय प्राप्त को गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं को पर्चा से खरीद को जगह ओटीसी खरीद प्रणाली को अपनाने के लिए मापदण्ड क्या ह और इस संबंध म अंतिम निणय कब तक लिए जाने को संभावना है?

□त□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□ज□ □त्री□ (श्री□ □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) से (ङ) औषधि एवं सौंदय प्रसाधन नियमावली, 1945 को अनुसूची ट पहले ही ऐसी विशिष्ट दवाओं को सूची उपलब्ध करवाती है जिनके लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके अंतगत बनाए गए नियमों के अंतगत दी गई शर्तों के अनुसार बिक्री लाइसस प्राप्त करने को अपेक्षाओं से छूट दी गई है।

संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसंसिग प्राधिकरणों (एसएलए) को औषधियों को बिक्री को निगरानी/जांच के लिए अधिकार प्राप्त ह, जिनम परामश के बिना बिक्री को जाने वाली औषधियों के लिए मंजूरी और इनका अनुपालन न किया जाने को स्थिति म कायवाई करना सम्मिलित है।

******